यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्र नगर वन प्रभाग, मुनि-की-रेती, टिहरी गढ़वाल** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी भी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्र नगर वन प्रभाग, मुनि-की-रेती, टिहरी गढ़वाल के माह 04/2019 से माह 03/2020 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव तथा श्री अंशुमन अग्रवाल सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों एवं श्री जी.के. बत्रा, पर्यवेक्षक द्वारा दिनांक 06.11.2020 से 19.11.2020 तक श्री राज कुमार वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण मे संपादित किया गया था।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री अनुप कुमार गुप्ता एवं श्री रमेश कुमार केशरी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 24.07.2019 से 01.08.2019 तक श्री अशोक कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में संपादित की गयी थी। जिसमें राजस्व हेतु माह 04/2017 से 03/2019 तक एवं व्यय हेतु माह 04/2017 से 03/2019 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में राजस्व हेतु माह 04/2019 से 03/2020 तक एवं व्यय हेतु माह 04/2019 से 03/2020 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः भूमि संरक्षण सम्बन्धित कार्य, कालसी प्रभाग

(ii) (अ) **राजस्व का विवरणः** विगत तीन वर्षो में कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत है :

वर्ष	अर्जित राजस्व (रू लाख में)
2017-18	104.87
2018-19	188.11
2019-20	417.70

(ii) (ब) बजट का विवरण

विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(₹ लाख में)

वर्ष	**स्थापना**		**गैरस्थापना**		**अधिक्य (+)**	**बचत (-)**	
	आवंटन	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**		**स्थापना**	**गैर स्थापना**
2017-18	815.94	815.94	466.95	466.95	-	-	-
2018-19	827.72	827.72	568.96	568.96	-	-	-
2019-20	918.60	918.60	574.56	574.56	-	-	-

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत विभागो को प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(₹ लाख में)

वर्ष	**स्थापना योजना का नाम**	**केन्द्र पोषित/राज्य पोषित**	**प्रा0 अ0**	**प्राप्त**	**व्यय अधिक्य (+)**	**बचत (-)**
2017-18	IFM & Project Elephant	-	-	7.69	7.69	-
2018-19		-	-	15.64	15.64	-
2019-20		-	-	8.44	8.44	-

(iii) इकाई को बजट आवंटन गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई 'A' श्रेणी की है।

(IV) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव- प्रमुख वन संरक्षक- मुख्य वन संरक्षक- वन संरक्षक- उप वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा **कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्र नगर वन प्रभाग, मुनि-की-रेती, टिहरी गढ़वाल** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्र नगर वन प्रभाग, मुनि-की-रेती, टिहरी गढ़वाल** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(Vi) विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :-

माह 02/2020 को विस्तृत जांच (राजस्व) हेतु चयनित किया गया।

माह 03/2020 को विस्तृत जांच (व्यय) हेतु चयनित किया गया।

योजना का चयन: .....

(Vii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एवं लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

राजस्व की लेखा-परीक्षा
(अति गम्भीर अनियमितताएं)
भाग-II (अ)

प्रस्तर- 1 : लीसा के विक्रय पर नियमानुसार स्टाम्प शुल्क न वसूल किए जाने के कारण राजस्व क्षति ₹77.16 लाख।

गम्भीर अनियमितताएं
भाग-II (ब)

प्रस्तर- 01 : विकास कार्यों हेतु किए गए पातन के वृक्षों की रॉयल्टी ₹25.89 लाख अदा न किया जाना।

प्रस्तर- 02 : धनराशि जमा न कराया जाना ₹33.26 लाख।

प्रस्तर- 03 : अभिवहन शुल्क पर जीएसटी वसूल न किया जाना ₹3.16 लाख।

प्रस्तर- 04 : जमानत की धनराशि को जब्त करके राजस्व में जमा न किया जाना ₹1.26 लाख।

व्यय की लेखा-परीक्षा
(अति गम्भीर अनियमितताएं)

भाग-II (अ)
गम्भीर अनियमितताएं
शून्य
व्यय की लेखा-परीक्षा

भाग-II (ब)

प्रस्तर- 01 : अनियमित भुगतान ₹26.61 लाख एवं अदेय लाभ ₹2.20 लाख एवं ई पी एफ तथा ई एस आई के अभिलेख संधारित न किया जाना।

प्रस्तर- 02 : लेंटाना उन्मूलन पर निष्फल व्यय ₹13.75 लाख।

प्रस्तर- 03 : वन पंचायतों को दी गयी धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त ना किया जाना ₹17.70 लाख।

प्रस्तर- 04 : अनियमित कार्य करवाया जाना ₹25.00 लाख।

STAN

(राजस्व से संबन्धित)

भाग–II 'अ'

प्रस्तर- 1 : लीसा के विक्रय पर नियमानुसार स्टाम्प शुल्क न वसूल किए जाने के कारण राजस्व क्षति ₹77.16 लाख।

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची एक-खा के क्रमांक 18 में यह प्रावधान किया गया है कि उस प्रत्येक सम्पत्ति के लिए जो अलग लाट में नीलामी पर चढाई और बेची गयी हो जो किसी न्यायालय, या अधिकारी या संस्था द्वारा, जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अनुसार ऐसी सम्पत्ति को सार्वजनिक नीलामी से बेचने का अधिकार प्राप्त हो, सार्वजनिक नीलामी से बेची गयी सम्पत्ति के क्रेता को दिया जाये तो केवल क्रयधन की राशि के बराबर प्रतिफल के लिए हस्तांतरण पर क्रमांक 23 खंड (क) के समान शुल्क देय है। वर्तमान में स्टाम्प शुल्क की दर 5% है। इस पर नियमानुसार रजिस्ट्रेशन फीस भी देय है।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्र नगर वन प्रभाग के लीसा डिपो से संबंधित अभिलेखों की नमूना लेखा परीक्षा जांच में पाया गया कि वर्ष 2019-20 में नीलामी के माध्यम से कुल 41140.347 कुंतल लीसा की बिक्री विभिन्न दरों पर कुल ₹25,72,00,148/- की करना दर्शाया गया था जिस पर 2% की दर से ₹51,44,004/- स्टाम्प शुल्क वसूल करना दर्शाया गया था। जबकि अलग-अलग लाटों में सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से बेचे गए लीसे पर स्टाम्प शुल्क की देयता 5% की दर से निर्धारित की गयी है।

अतः ₹25,72,01,000/= (₹25,72,00,148/- 1000 में पूर्णांकित) की लीसा की बिक्री पर अंतरीय दर 3% (5-2) से स्टाम्प शुल्क ₹77,16,030/- देय है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा अवगत कराया गया कि जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल द्वारा प्रेषित पत्र स. 670/5-22(12-13) दिनांक 28-01-2013 के अनुसार 2% की दर से स्टाम्प शुल्क वसूला गया है। इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची एक -खा के क्रमांक 18 में उल्लेखित प्रकरण अर्थात नीलामी के माध्यम से संपत्ति की बिक्री पर स्टाम्प की देयता क्रम संख्या 23 क के अनुसार वर्तमान में 5% की दर से देय है। जिससे स्पष्ट है कि नीलामी के माध्यम से बिक्री की गयी संपत्ति चाहे वो चल हो या अचल पर स्टाम्प की देयता 5% की दर से निर्धारित की गयी है। जिन प्रकरणो में संपत्ति को नीलामी के माध्यम से विक्रय नहीं किया जाता है उनमे स्थाई संपत्ति पर स्टाम्प शुल्क की देयता 23 क के अनुसार 5% की दर से तथा अस्थाई संपत्ति पर स्टाम्प शुल्क की देयता 23 ख के अनुसार 2% की दर से निर्धारित की गयी है।

अतः लीसा के विक्रय पर नियमानुसार स्टाम्प शुल्क न वसूल किए जाने के कारण राजस्व क्षति ₹77.16 लाख का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

(राजस्व से संबन्धित)

<u>भाग-II (ब)</u>

प्रस्तर- 01 : विकास कार्यों हेतु किए गए पातन के वृक्षों की रॉयल्टी ₹25.89 लाख अदा न किया जाना।

प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखण्ड द्वारा स्वीकृत (नवम्बर 2012) 'उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा वनों में कार्य करने हेतु कटान चिरान की शर्तों' के बिन्दु संख्या 31 के अनुसार लॉट के मूल्य का एक तिहाई भाग 1 मार्च को, दूसरा तिहाई भाग 1 जून को एवं तीसरा तिहाई भाग 1 सितंबर को वन निगम द्वारा जमा किया जाएगा।

तथापि, प्रबंध निदेशक- उत्तराखण्ड वन विकास निगम ने अपने स्थायी आदेश दिनांक 14 सितंबर 2016 के द्वारा निर्णय लेते हुए निर्देश जारी किया कि विकास कार्यों से संबन्धित वृक्षों की रॉयल्टी अब निगम द्वारा भुगतान नहीं की जाएगी। उक्त वृक्षों की रॉयल्टी वृक्षों से प्राप्त विक्रय मूल्य में 20 प्रतिशत कटौती करने के पश्चात शेष धनराशि कार्यदायी/ आवटी संस्था को भुगतान किए जाने की बात कही गयी। उक्त निर्णय विभाग द्वारा जारी उपरोक्त शर्तों के प्रतिकूल था।

प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्र नगर वन प्रभाग की लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2019-20 में विकास कार्यों/मार्ग निर्माण से संबन्धित 16 लॉट (लॉट संख्याः 01,03,04,05,06,07,10,26,27,28,29,30,31,38,46,47) पर वन निगम द्वारा कार्य किया गया था। उक्त 16 लॉट में 2403 वृक्षों से कुल 364.4181 घन मीटर प्रकाष्ठ की प्राप्ति दिखाई गयी है तथापि उक्त प्रकाष्ठ की रॉयल्टी निगम द्वारा विभाग को मार्च, जून एवं सितंबर की नियत तिथियों को भुगतान नहीं किया गया। इस कारण से वर्ष 2018-19 की रॉयल्टी दरों पर उक्त 364.4181 घन मीटर प्रकाष्ठ का मूल्य/रॉयल्टी ₹25,88,688/- निगम के पास अवरोधित है। (विवरण संलग्न)

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा अवगत कराया गया कि रायल्टी वन निगम द्वारा अदा नहीं की जा रही है जिसको वसूल किए जाने हेतु पत्राचार किया जा रहा है।

अतः वन निगम द्वारा विकास कार्यों हेतु किए गए पातन के वृक्षों की रॉयल्टी ₹25.89 लाख अदा न किए जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

(राजस्व से सम्बन्धित)

<u>भाग-II (ब)</u>

प्रस्तर- 02 : धनराशि जमा न कराया जाना ₹33.26 लाख।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनि की रेती, टिहरी गढ़वाल के वन भूमि हस्तांतरण के प्रकरणो की नमूना जांच मे पाया गया कि शासनादेश सं0 169(1)/X-3-20/1(43)/2019 दिनांक 18 फरवरी 2020 के द्वारा जनपद टिहरी गढ़वाल मे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत खोला थापली से मुसमोला मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.96 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन किया गया। उपरोक्त विधिवत स्वीकृति शासनादेश के बिन्दु संख्या 09 के अनुसार प्रयोक्ता एजेंसी के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानो पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक उसका रख रखाव किए जाने के संबंध मे धनराशि जमा नहीं कराया गया था। अतः 2.191 कि0मी0 वन भूमि हेतु ₹4,59,610 प्रति कि मी के अनुसार धनराशि ₹10,07,006 (2.191 कि0मी0 x ₹4,59,610) प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा और जमा कराया जाना अपेक्षित था।

2- शासनादेश सं0 233(1)/X-4-19/1(583)/2015 दिनांक 23 अप्रैल 2019 के द्वारा जनपद टिहरी गढ़वाल मे नरेंद्र नगर से भदनी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.98 हे वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किया गया। उपरोक्त विधिवत स्वीकृति शासनादेश के बिन्दु संख्या 08 के अनुसार प्रयोक्ता एजेंसी के व्यय पर वन विभाग द्वारा क्षतिपूरण वृक्षरोपण के अंतर्गत यथोचित वृक्षो का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक उनका रखरखाव किए जाने के संबंध मे 0.98 हे x 2=1.96 हे के लिए वर्ष 2019-20 के अनुसार 3,06,531 प्रति हे0 की दर से धनराशि ₹6,00,800 (1.96 कि0मी0 x ₹3,06,531) प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा और जमा कराया जाना अप्रेक्षित है।

3- शासनादेश सं0 580/X-4-19/2(22)/2016 दिनांक 07 अगस्त 2019 के द्वारा जनपद टिहरी मे चंबा-मसूरी फल सुरकुंडा देवी ग्राम समूह पम्पिंग योजना के निर्माण हेतु 1.42 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु पेयजल निगम को 30 वर्षो की लीज पर दिये जाने हेतु प्रत्यावर्तन किया गया। उपरोक्त विधिवत स्वीकृति शासनादेश के बिन्दु संख्या 04 के अनुसार प्रयोक्ता एजेंसी के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानो पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक उसका रख रखाव किए जाने के संबंध मे धनराशि जमा नहीं कराया गया है। अतः 1.42 हे0 भूमि के 1000 पौध प्रति हे0 अर्थात 1420 पौध के ₹1210 प्रति पौध की दर से ₹17,18,200 प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा और जमा कराया जाना अपेक्षित है। उक्त के अतिरिक्त

बिन्दु संख्या 18 के अनुसार प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उक्त शर्तो एवं अन्य सामान्य शर्तो को सम्मिलित करते हुये एक पट्टा विलेख का आलेख तैयार किया जाएगा जिसे शासकीय हस्तांतरक से विधीक्षित करवाया जाएगा।

उक्त को इंगित किए जाने पर प्रभाग द्वारा अवगत कराया गया कि उपरोक्त धनराशि जमा कराये जाने हेतु प्रयोक्ता एजेंसी को पत्र प्रेषित किया जा रहा है। अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

(राजस्व से संबन्धित)

भाग-II (ब)

प्रस्तर- 03 : अभिवहन शुल्क पर जीएसटी वसूल न किया जाना ₹3.16 लाख।

उत्तराखण्ड शासन द्वारा प्रख्यापित उत्तराखंड इमारती लकड़ी और अन्य वन उपज का अभिवहन नियमावली,2012 (यथा संशोधित 2014 एव 2017) के प्राविधानों के अनुसार वन उपज के अभिवहन पर अभिवहन शुल्क की वसूली की जाती है। निर्धारित दरो पर वसूल किए गए अभिवहन शुल्क पर नियमानुसार 18% GST अतिरिक्त वसूल करके सर्विस कोड 9997 में other services के तहत GST हैड में जमा किया जाएगा।पूरे देश में जीएसटी दिनांक 01/07/2017 से लागू हो गया था।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नरेंद्र नगर वन प्रभाग द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना के अनुसार इकाई द्वारा जुलाई 2017 से मार्च 2020 तक र 1756317 के अभिवहन शुल्क की वसूली की गयी थी परंतु उस पर कोई जीएसटी वसूल नहीं किया गया है।अतः वसूल किए गए अभिवहन शुल्क पर ₹316137 जीएसटी (₹1756317 x 18%) वसूल किया जाना था जो इकाई द्वारा नहीं किया गया है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने अवगत कराया कि उच्च स्तर से निर्देश प्राप्त न होने के कारण अभिवहन शुल्क पर जीएसटी वसूल नहीं किया गया है।

अतः अभिवहन शुल्क पर जीएसटी ₹3.16 लाख वसूल न किए जाने का प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

(राजस्व से संबन्धित)

भाग-II (ब)

प्रस्तर- 04 : जमानत की धनराशि को जब्त करके राजस्व में जमा न किया जाना ₹1.26 लाख।

वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड 5 के प्रस्तर 351 के अनुसार समस्त जमा या अवशेष, जो कि तीन से अधिक पूर्ण लेखा वर्षों तक बिना दावे के रहता है, प्रत्येक वर्ष मार्च के अंत में राजस्व के समुचित लेखाशीर्ष में जमा कर दिया जाए।

लीसा फसल पर अनुबंध पर कार्य करने वाले ठेकेदारो से नेक जमानत जमा के रूप में टी डी आर, एफ डी आर एवं एन एस सी की धनराशि जमा कराये जाने का प्रावधान है तथा अनुबंध समाप्त होने पर अंतिम भुगतान करते समय ठेकेदारो से बकाया वसूल कर नेक जमानत जमा वापस की जाती है। तीन वर्षो से अधिक वर्षो से जमा नेक जमानत जमा वापस न लेने वाले ठेकेदारो की जमानत को जब्त करके राजस्व में जमा किया जाना है तथा इसी प्रकार उत्तराखंड शासन के वन एव पर्यावरण अनुभाग के पत्र संख्या: 2/512x-2-2013-12(34)/2005 दिनांकः 08 मार्च 2013 के अनुसार एव उत्तर प्रदेश व्रक्ष संरक्षण अधिनियम (यथा प्रव्रत्त उत्तराखंड में) के अंतर्गत अनुज्ञा पातन के एवज़ में उचित मात्रा में व्रक्षारोपण सुनिश्चित किए जाने हेतु विभिन्न प्रार्थीगणों से जमानत के रूप में टी डी आर ,एफ डी आर एव एन एस सी की धनराशि जमा कराये जाने का प्रावधान है तथा प्रार्थीगणों द्वारा उक्त वृक्षारोपण एवं उनके रखरखाव न किए जाने पर जमा जमानत को जब्त करके राजस्व में जमा किया जाना है।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग मुनि की रेती टिहरी गढ़वाल द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार विभाग के पास तीन वर्षो से पूर्व वर्षो की जमानत के रूप में जमा कराई गयी टी डी आर ,एफ डी आर एव एन एस सी जमा है। विभाग के पास धनराशि ₹88,000/- की लीसा ठेकेदारो की तथा नाप खेत में वृक्षो के सापेक्ष ₹38,300/- की एफ डी आर, एन एस सी ऐसी पायी गयी जिन्हे 3 वर्ष या उससे अधिक पूर्ण होने के उपरान्त भी ठेकेदारो द्वारा वापस लेने की कोई कार्यवाही नहीं की गयी तथा ऐसी एफ डी आर,एन एस सी को उक्त नियमानुसार राजस्व में जमा किया जाना था जो कि विभाग द्वारा वर्तमान तक नहीं किया गया है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने तीन वर्षो से अधिक पूर्व की जमानत धनराशि को जब्त कर अग्रिम कार्यवाही का आश्वासन दिया है।

अतः जमानत के रूप में जमा की गयी जमानत की धनराशि ₹1,26,300/- को जब्त करके राजस्व में जमा न किए जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

(व्यय से सम्बन्धित)

भाग-II (ब)

प्रस्तर- 05 : अनियमित भुगतान ₹26.61 लाख एवं अदेय लाभ ₹2.20 लाख एवं ई पी एफ तथा ई एस आई के अभिलेख संधारित न किया जाना।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनि की रेती, टिहरी गढ़वाल द्वारा आउट सोर्सिंग के माध्यम से अकुशल, अर्द्धकुशल तथा कुशल श्रेणी के मानव संसाधन उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रभाग के अभिलेखो की नमूना जांच मे पाया गया कि वर्ष 2019-20 मे प्रयोक्ता एजेंसी मै0 गर्ग कांट्रेक्ट सर्विस को ₹26,60,858/- का भुगतान किया गया है। एजेंसी द्वारा भुगतान हेतु प्रस्तुत बिल मे एक मुश्त धनराशि प्रस्तुत की गयी है। अतः इस भुगतान मे मूल मजदूरी, महंगाई भत्ता बोनस ₹16,02,540/- कर्मचारी भविष्य निधि (25%) ₹4,00,635/- कर्मचारी बीमा (6.5%) ₹1,04,165/- एवं सेवा शुल्क (7%) ₹1,47,594/- तथा जी एस टी ₹4,05,923/- है।

प्रभाग द्वारा मानव संसाधन उपलब्ध कराने पर सेवा प्रदाता फर्म को कर्मचारी भविष्य निधि (ई0पी0एफ0) एवं कर्मचारी राज्य बीमा (ई0एस0आई0) का भुगतान करते समय कार्मिक के अंश का भी भुगतान किया गया, जबकि ई0पी0एफ0 एवं ई0एस0आई0 में नियोक्ता एवं कार्मिक के अंश हेतु अलग–अलग प्रतिशत्ता का निर्धारण श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय–समय पर संशोधित अधिसूचना के माध्यम से किया गया था। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार दिनॉक EPF हेतु 01.06.2018 से 13% एवं 12% तथा ई0एस0आई0 हेतु दिनॉक 30.06.2019 से पूर्व नियोक्ता एवं कार्मिक का अंश क्रमशः 4.75% एवं 1.75% तथा दिनॉक 01.07.2019 से 3.25% एवं 0.75% निर्धारित किया गया था। इस प्रकार प्रभाग द्वारा अधिसूचना में ई0पी0एफ0 एवं ई0एस0आई0 की निर्धारित प्रतिशत्ता अंश के विपरीत दिनॉक 01.04.2019 से 31.03.2020 तक प्रतिमाह कार्मिक के ई0पी0एफ0 अंश 12 प्रतिशत एवं ई0एस0आई0 1.75 प्रतिशत का भी भुगतान एजेन्सी को किया गया। जिसका परिणाम हुआ कि एजेन्सी 13.75 प्रतिशत अर्थात अदेय लाभ ₹2.20 (1602540 x 13.75%) लाख पहुॅचाया गया।

उक्त के अतिरिक्त जांच मे यह पाया गया कि एजेंसी को बिना निविदा आमंत्रित किए ही मानव संसाधन उपलब्ध करने हेतु सेवा शुल्क 7 प्रतिशत की दर से वर्ष 2019-20 मे ₹1,47,594/- का भुगतान किया गया था। एजेंसी को भुगतान की गयी ₹4,00,635/- (कर्मचारी भविष्य निधि (25%) एवं ₹1,04,165 कर्मचारी बीमा (6.5%) के संबंध मे कोई भी अभिलेख प्रभाग मे उपलब्ध नहीं थे।

उक्त के संबंध मे इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखंड के कार्यालय आदेश सं0 49/1-14(4) दिनांक 05.07.2010 के क्रम मे ई पी एफ/ई एस आई का पूर्ण भुगतान किया गया है। प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखंड के पत्रांक क-916/1-14 (4) दिनांक 14.11.2014 के क्रम मे सेवा प्रदाता से सेवा प्राप्त की गयी है।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं था क्योकि उपरोक्त दोनों आदेश मे ई पी एफ/ई एस आई का पूर्ण भुगतान किए जाने एवं बिना निविदा आमंत्रित किए जाने के संबंध मे कोई आदेश नहीं किया गया था। अतः प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

(व्यय से संबन्धित)

<u>भाग-II (ब)</u>

प्रस्तर- 06 : लेंटाना उन्मूलन पर निष्फल व्यय ₹13.75 लाख।

विभाग में प्रचलित कार्य पद्धति के अनुसार किसी भी लेंटाना प्रभावित क्षेत्र से लेंटाना के पूर्ण उन्मूलन के लिए उस क्षेत्र का लगातार तीन वर्षों तक निगरानी एवं उपचार के अधीन रहना आवश्यक होता है क्योंकि प्रथम वर्ष लेंटाना उन्मूलन के पश्च्चात भूमि में उपलब्ध लेंटाना के बीज प्रकाश एवं नमी के संपर्क में रहकर पुनः पौध के रूप में विकसित हो जाते हैं जिनके उन्मूलन के पश्चात ही लेंटाना प्रभावित क्षेत्र का उपचार पूर्ण होता है। इसी कारण से, विभाग द्वारा लेंटाना प्रभावित क्षेत्र के पूर्ण उपचार हेतु लगातार तीन वर्षों तक अलग–अलग दरों से बजट उपलब्ध करवाया जाता है।

प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि प्रभाग द्वारा वर्ष 2017-18 व वर्ष 2018-19 के दौरान प्रभाग में लेंटाना से प्रभावित क्षेत्र के प्रथम वर्ष_उपचार तथा उन्मूलन हेतु 252 हेक्टेयर का चयन किया गया जिन पर क्रमशः ₹11,75,000/- व ₹2,00,000/- का व्यय किया गया है।इन क्षेत्रों में द्वितीय तथा तृतीय वर्ष उपचार हेतु कोई व्यय नहीं किया गया है। अतः स्पष्ट है की प्रथम वर्ष उपचार पर किये गए व्यय के पश्चात इन क्षेत्रों में द्वितीय एवं तृतीय वर्ष लगातार लेंटाना उन्मूलन न कराये जाने के कारण लेंटाना पुनः उगकर क्षेत्र की पारिस्थितिकी को प्रभावित करेगा।अतः प्रभाग द्वारा वर्ष 2017-18 व वर्ष 2018-19 के दौरान लेंटाना के कार्य को द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष तक जारी न रखने के परिणामस्वरुप ₹13,75,000 का व्यय निष्फल रहा।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा अवगत कराया गया कि बजट के अभाव के कारण लेंटाना उन्मूलन का कार्य आगामी वर्षो हेतु जारी नहीं किया जा सका।

अतः लेंटाना उन्मूलन पर निष्फल व्यय ₹13.75 लाख का प्रकरण उच्च अधिकारियों के संग्यान में लाया जाता है।

(व्यय से संबन्धित)

भाग-II (ब)

प्रस्तर- 07 : वन पंचायतों को दी गयी धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त ना किया जाना ₹17.70 लाख।

सहायता अनुदान के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण–पत्र वित्तीय नियम 19–ए में दिये गये प्रारुप में प्रस्तुत किया जाना था। उपयोग की गयी धनराशि के मात्रात्मक व गुणतापरक लक्ष्यों की पूर्ति से सम्बन्धित निरीक्षण रिर्पोट अथवा लक्ष्य पूर्णता के साक्ष्य रखे जाने अपेक्षित है।

प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्र नगर, वन प्रभाग के लेखा अभिलेखों की जांच में पाया गया कि प्रभाग द्वारा कैम्पा योजना के अंतर्गत वर्ष 2019-20 में विभिन्न वन पचायतों को ₹16.20 लाख की धनराशि उपलब्ध कराई गयी थी तथा इसी प्रकार सहायक अनुदान योजना के अंतर्गत ₹1.5 लाख की धनराशि उपलब्ध कराई गयी थी।

लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया की उक्त धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र वर्तमान में प्रभाग में उपलब्ध नहीं है। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने अवगत कराया कि वन पंचायतों से उपयोगिता प्रमाण पत्र पूर्ण प्राप्त नहीं हुए है, प्राप्त होने पर प्रस्तुत किए जाएंगे।

अतः वन पंचायतों को दी गयी धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त ना किया जाना ₹17.70 लाख का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-II (ब)</u>

प्रस्तर- 08 : अनियमित कार्य करवाया जाना ₹25.00 लाख।

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॉक्यूरमेंट) नियमावली, 2017 के नियम 3 (10) के अनुसार निम्नतर दरों का लाभ प्राप्त करने के लिए यथासाध्य अधिकतम आवश्यक मात्रा की एक साथ अधिप्राप्ति का प्रयास किया जाए। अधिप्राप्ति मूल्य कम करने के लिए आवश्यक मात्रा को विभाजित नहीं किया जाएगा और न ही कुल आवश्यकता के आंकलित मूल्य के संदर्भ में अपेक्षित उच्चतर प्राधिकारी की संस्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता से बचने के लिए छोटे-छोटे भागों में विभक्त किया जाएगा।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनि की रेती, टिहरी गढ़वाल के अभिलेखों की जांच मे पाया गया कि बहुद्देशीय वृक्षारोपण एवं वनो का संरक्षण योजना (वृहत निर्माण) के अंतर्गत सकलाना रेंज मे निम्नलिखित क्षेत्र मे अग्रिम मृदा कार्य किया गया है। जिस कार्य के लिए निविदा किए जाने से एवं उच्चतर प्राधिकारी कि संस्वीकृति प्राप्त करने से बचने के लिए छोटे-छोटे भागो मे विभक्त किया गया है एवं उक्त कार्य कोटेशन प्राप्त कर कराया गया है।

क्र0 सं0	**कार्य का नाम**	**धनराशि (₹ मे)**
01	सौड क0स0 12 के 10 हे0 मे अ0मृ0कार्य	250000
02	पुजाल्डी क0स013 के 10 हे0 मे अ0मृदा कार्य	250000
03	दगेली नामे टॉक 10 हे0 मे अ0मृ0कार्य	250000
04	प्लास सिविल 10 हे0 पार्ट-1 मे A.S.W.	250000
05	प्लास सिविल 10 हे0 पार्ट-2 मे A.S.W.	250000
06	सौड क0स0 12 के 10 हे0 मे अ0मृ0कार्य	250000
07	पुजाल्डी क0स013 के 10 हे0 मे अ0मृदा कार्य	250000
08	दगेली नामे टॉक 10 हे0 मे अ0मृ0कार्य	250000
09	प्लास सिविल 10 हे0 पार्ट-1 मे A.S.W.	250000
10	प्लास सिविल 10 हे0 पार्ट-2 मे A.S.W.	250000
योग		**2500000**

उक्त को इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि बहुद्देशीय वृक्षारोपण एवं वनो के संरक्षण योजना की मानक मद 24 वृहत निर्माण के अंतर्गत वित्त नियंत्रक, वन विभाग उत्तराखंड द्वारा बजट विलंब से 29.02.2020 को प्राप्त हुआ। निविदा आमंत्रण के लिए न्यूनतम दो सप्ताह का समय दिया जाना अनिवार्य है ऐसी स्थित मे निविदा के माध्यम से कार्य कराया जाना संभव नहीं था। कार्ययोजना के अनुसार वर्षाकालीन रोपण हेतु अग्रिम मृदा कार्य 31 मार्च तक किया जाना अनिवार्य था। जिसके फलस्वरूप निविद आमंत्रित कर कार्य कराया जाना संभव नहीं था।

विभाग के उत्तर मान्य नहीं है क्योकि उपरोक्त कार्य कार्ययोजना मे शामिल था। जिसे कराये जाने के लिए बजट समय से उपलब्ध कराया जाना आवश्यक था।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
FR-11/2017-18	01,02	01,02,03	-
FR-45/2019-20	01,02 (राजस्व)	01(राजस्व) 01,02,03,04,05,06,07 (व्यय)	-

व्यय से संबंधित: विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1)राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा निस्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य

(2)व्यय से संबंधित इकाई द्वारा निस्पादित अच्छे कार्य - टिप्पणी शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्र नगर वन प्रभाग, मुनि-की-रेती, टिहरी गढ़वाल** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि

लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

(i) जायका योजना से सम्बन्धित अभिलेख

2. **सतत् अनियमितताएः**

(i) शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
1.	श्री धर्म सिंह मीणा,	उप वन संरक्षक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्र नगर वन प्रभाग, मुनि-की-रेती, टिहरी गढ़वाल** को इस आशय से प्रेषित कर दी गयी है कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार (ए.एम.जी.-IV), कार्यालय प्रधान महालेखाकर (लेखापरीक्षा)- उत्तराखंड, देहरादून को प्रेषित कर दी जाये।

वरि0 लेखापरीक्षा अधिकारी/ए.एम.जी.-IV

क0 सं0	लौट सं0	वर्ष	आबंटित वृक्षों की प्रजाति	आबंटित वृक्षों की संख्या	सी.सी.एफ. आयतन (घ.मी.)	रॉयल्टी दर प्रति घ.मी.	कुल रॉयल्टी की धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
15	46/2019-20	2019-20	बांज	16	0.7300	1379	1007
			चीड़	25	59.2053	2235	132324
			सुरई	1	0.00	-	-
			जलौनी	7	0.2263	1379	312
16	47/2019-20		बांज	33	0.2160	1379	298
			चीड़	2	-	2235	-
			जलौनी	18	0.3867	1379	533
Total				2403	364.4181		2588688